इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 86] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 18 फरवरी 2014—माघ 29, शक 1935

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2014

क्र. एफ-23-01-2014-सा.-उन्नीस.—मध्यप्रदेश राजमार्ग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 11 सन् 2005) की धारा 65 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**— (1) इस नियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राजमार्ग नियम, 2014 है.

(2) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राजमार्ग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 11 सन् 2005);

(ख) ''धारा'' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा;

(ग) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त किए गए हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं.

3. **अधिसूचना के प्रकाशन की रीति.**— (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा अधिनियम की धारा 12 के अधीन राजमार्ग की सीमाओं, भवन रेखा तथा राजमार्ग की नियंत्रण रेखा को नियत करेगी.

(2) राज्य सरकार धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी करने से पूर्व ऐसे समस्त व्यक्तियों से, जिनके कि उससे उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन, ऐसी अधिसूचना से प्रभावित होने की संभावना है, आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित करने हेतु एक सूचना राजपत्र में प्रकाशित करेगी.

(3) धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसरण में अधिसूचना की एक प्रति ग्राम पंचायत, तहसील कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा मुख्य महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल को उनके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के लिये भेजी जाएगी. यदि कार्यालय में कोई सूचना पटल नहीं है तो सूचना की प्रति कार्यालय के सहजदृश्य भाग पर चिपकाई जाएगी.

(4) सूचना की एक प्रति क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसारण वाले दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु भेजी जाएगी.

(5) इस प्रकार प्रकाशित अधिसूचना में इन नियमों से संलग्न प्रारूप एक में विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी.

(6) संबंधित अधिसूचना के नक्शे की प्रति कलक्टर, संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के कार्यालय के साथ मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल के मुख्यालय में सर्वसाधारण के निरीक्षण हेतु रखी जाएगी.

(7) ऐसे नक्शे की उद्धरण या प्रतियां 100/- रुपए प्रति शीट के शुल्क भुगतान पर किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी.

4. **कतिपय प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति.**— (1) भवन निर्माण, संरचना परिवर्तन, खुदाई कार्य या पहुंच कार्य अनुज्ञप्ति या ऐसे अन्य प्रयोजन के संबंध में अनुज्ञप्ति चाहने वाला कोई व्यक्ति इन नियमों से संलग्न यथा वर्णित ऐसी जानकारी अंतर्विष्ट करते हुए राजमार्ग प्राधिकारी को प्ररूप-दो में आवेदन करेगा.

(2) राजमार्ग प्राधिकारी निम्नलिखित कारणों से अनुज्ञा देने से इंकार कर सकेगा,—

(क) यातायात में व्यवधान की संभावना हो; या
(ख) यदि मार्ग उपयोग करने वालों को खतरा हो; या
(ग) यदि ऐसा करना जनहित में न हो.

(3) जब कभी राजमार्ग प्राधिकारी को विहित प्ररूप में अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया जाता है तो राजमार्ग प्राधिकारी के लिये यह बाध्यकारी होगा कि वह उसकी (आवेदन की) पावती से तीन माह की कालावधि के भीतर उस पर अंतिम विनिश्चिय ले. यदि उपरोक्त तीन माह की कालावधि के भीतर अंतिम विनिश्चय नहीं लेता है तो यह समझा जाएगा कि आवेदन पर अनुज्ञप्ति दे दी गई है.

5 **राजमार्ग प्राधिकारी के अधिकारी.**— राजमार्ग प्राधिकारी को किसी भी समय अपने प्रभार के किसी राजमार्ग अथवा उसके किसी भाग के संबंध में यदि यह प्रतीत होता है कि मार्ग क्षतिग्रस्त होने अथवा अन्यथा होने के कारणों से वाहन यातायात अथवा पैदल चलने के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है तो वह उस राजमार्ग अथवा उसके किसी भाग को समस्त यातायात या किसी विशेष प्रकार के यातायात को उसे अवधि तक के लिए रोक सकेगा जो उस राजमार्ग के मरम्मत या पुनरुद्धार के लिये आवश्यक हो. वह यातायात को वैकल्पिक मार्ग पर व्यपवर्तित कर सकेगा जो कि राजमार्ग से लगे हुए हैं. क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत या पुनरुद्धार की अवधि न्यूनतम होगी. राजमार्ग प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि मरम्मत अथवा पुनरुद्धार के पश्चात् यातायात हेतु राजमार्ग के उपयोग को अनुज्ञात किया जा सके.

6. **अधिक भारी/अधिक विभाओं (लम्बाई-चौड़ाई आदि) के वाहनों के उपयोग को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति.**— यदि राजमार्ग प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि राजमार्ग या कोई भाग या पुल अधिक भारी/अधिक विभाओं के यानों की बनावट जिनका धुरीभार तथा यान का आकार विहित सीमा से अधिक है, उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे अधिक भार/अधिक विभाओं के यानों या ऐसे राजमार्ग या राजमार्ग के ऐसे भाग या ऐसे पुलों पर चलाया जाना प्रतिषिद्ध कर सकेगा. राजमार्ग प्राधिकारी भारी यानों के चलाने का प्रतिषिद्ध करने के संबंध में सूचना वोर्ड भी लगा सकेगा जो मार्ग के प्रारंभ होने पर या किसी अन्य स्थान पर जो कि ऐसे सूचना बोर्ड के लिए उपयुक्त हो.

7. **मार्ग पर दृष्टिबाधक का निवारण.**— (1) यदि राजमार्ग प्राधिकारी की यह राय हो विशेषत: कि राजमार्ग के किसी मोड़ या कोने पर राजमार्ग की दृष्टिबाधक का निवारण किया जाना आवश्यक है तो वह ऐसी बाधा या अतिक्रमण को हटाने के लिए संबंधित स्वामी या अधिभोगी को जनहित में बाधा हटाने की सूचना जारी कर सकेगा:

परन्तु यदि बाधा मार्ग निर्माण के पूर्ण से विद्यमान है तो स्वामी या अधिभोगी को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा

(2) यदि बाधा को जो कि मार्ग निर्माण के पूर्व विद्यमान हो हटाया जाना प्रस्तावित हो तो बाधा हटाई जाएगी और संबंधित कलक्टर ऐसी बाधा को हटाने हेतु स्वामी या अधिभोगी को भुगतान किए जाने वाली प्रतिकर की रकम का अवधारण करेगा. कलक्टर द्वारा अवधारित की गई प्रतिकर का भुगतान करना राजमार्ग प्राधिकारी के लिये बाध्यकारी होगा. प्रतिकर का भुगतान तभी किया जाएगा जब निर्माण की उक्त संरचना वैध हो और भूमि अधिभोगी के स्वामित्व में की हो. यह अवैध निर्माण तथा अतिक्रमण की दशा में लागू नहीं होगा.

8. **प्रतिकर का निर्धारण.**— संबंधित कलक्टर भूमि के विद्यमान बाजार मूल्य के आधार पर प्रतिकर का अवधारण करेगा. जहां बाधा को हटाया जाना हो वहां भूमि के स्वामी या अधिभोगी को कूड़ा कर्कट के परिवहन या व्यावसायिक स्थल के परिवर्तन में हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति हेतु कलक्टर स्वामी या अधिभोगी को संदत्त की जाने वाली अतिरिक्त प्रतिकर की रकम का निर्धारण भी करेगा.

9. **अतिक्रमण का हटाया जाना.**— (1) यदि राजमार्ग प्राधिकारी बाधा को हटाने के लिए आदेश पारित करता है और यदि संबंधित अतिक्रमणकर्ता स्वयं उसे नहीं हटाता है तो राजमार्ग प्राधिकारी बाधा के ब्यौरे या विवरण अंतर्विष्ट करते हुए ऐसी बाधा को हटाने के लिए एक आवेदन तहसीलदार को करेगा. राजमार्ग प्राधिकारी के आवेदन प्राप्त होने पर तहसीलदार ऐसा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर बाधा हटाने की कार्यवाही करेगा.

(2) तहसीलदार, बाधा हटाने तथा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 248 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अधिभोगी को दण्डित किए जाने की कार्रवाई करेगा. ऐसी बाधा तथा अतिक्रमण हटाने में हुए उपगत व्यय की वसूली भू-राजस्व की बकाया के रूप में भूमि के स्वामी या अधिभोगी से की जाएगी.

10. **अपील.**— यदि भूमिस्वामी या अधिभोगी नियम 9 में अधीन पारित आदेश से व्यथित हो तो वह मुख्य अभियंता, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल को अपील कर सकेगा.

11. **सीमाओं का सीमांकन.**— (1) राजमार्ग प्राधिकारी खोद कर या पत्थर गाड़कर या यथोचित चिन्ह लगाकर सीमांकन करेगा जिससे अधिनियम की धारा 10 के उपबंधों के अनुसार सीमा की सही आकृति (configuration) दी जा सके.

(2) सीमा रेखा के ये चिन्ह स्थाई प्रकृति के होंगे. चिन्हों का आकार, इनका प्रकार और अब स्थिति को मुख्य अभियंता, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल द्वारा विनिश्चित की जाएगी.

12. **व्ययों की वसूली.**— (1) यदि कोई व्यक्ति राजमार्ग के सीमा चिन्हों और साइन बोर्ड को क्षति पहुंचाता है, नष्ट करता है या हटाता है अथवा अन्यथा उनसे छेड़छाड़ करता है और जिन्हें राजमार्ग प्राधिकारी से उसी स्थान पर पुन: स्थापित किया है तो ऐसे चिन्हों और साइन बोर्ड को उपलब्ध कराने और लगाने पर उपगत व्यय सबंधित व्यक्ति से वसूलनीय होगा. वसूलनीय व्ययों की रकम की गणना राजस्व प्राधिकारी द्वारा की जाएगी.

(2) यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर राजमार्ग के किसी चिन्ह को क्षति पहुंचाता है, नष्ट करता है, हटाता है या अन्यथा छेड़छाड़ करता या प्रदर्शित साइन बोर्ड को हटाता है जिसे राजमार्ग की नियंत्रण रेखा प्रदर्शित करने के लिए लगाया गया था, तो राजमार्ग प्राधिकारी उन्हें उपलब्ध कराने और पुन: लगाने में उपगत हुए व्ययों की वसूली उत्तदायी व्यक्ति से करने के लिए सक्षम होगा.

13. **पत्र अथवा सूचना की तामील.**— इन नियमों के उपबंधों के अनुसरण में तामील किए जाने के लिए अपेक्षित कोई पत्र या सूचना संबंधित व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से तामील की जाएगी. यदि संबंधित व्यक्ति उसके निवास पर उपलब्ध नहीं है या अनुपस्थित है या फरार है तब इसे उसके निवास अथवा कार्यालय के दरवाजे पर चस्पा किया जाएगा. ऐसे चिपकाए गए पत्र या सूचना को संबंधित व्यक्ति पर तामील कर दिया गया समझा जाएगा.

14. **क्षतिग्रस्त राजमार्ग अथवा पुल की घोषणा.**— जहां किसी कारण से राजमार्ग को कोई भाग या राजमार्ग का पुल क्षतिग्रस्त हो गया है वहा राजमार्ग प्राधिकारी उसके बारे में क्षतिग्रस्त होने की घोषणा करेगा और जनसामान्य की जानकारी के लिये स्थानीय समाचार पत्र में जानकारी प्रकाशित की जाएगी. राजमार्ग प्राधिकारी एक साइन बोर्ड भी लगाएगा और राजमार्ग या पुल के ऐसे भाग पर यानों का यातायात विनियमित या प्रतिषिद्ध कर सकेगा जिससे कि राजमार्ग पर दुर्घटनओं से बचा जा सके. राजमार्ग या पुल की मरम्मत के पश्चात् राजमार्ग प्राधिकारी यह विनिश्चित करेगा कि प्रतिषेध हटा लिया गया है.

15. **राजमार्ग पहुंच के अधिकार का विनियमन या प्रत्यावर्तन.**— (1)राजमार्ग प्राधिकारी को नियंत्रण रेखा तथा राजमार्ग सीमा के बीच पड़ने वाली भूमि के लिये राजमार्ग तक पहुंच के विद्यमान अधिकार को विनियमित करने या प्रत्यावर्तित करने की शक्ति होगी. राजमार्ग प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि पहुंच का विद्यमान अधिकार तब तक प्रत्यावर्तित नहीं किया जाए जब तक कि वैकल्पिक मार्ग न शुरू किया जाए.

(2) जहां पहुंच का कोई विद्यमान अधिकार प्रत्यावर्तित किया जाता है तब वह बिन्दु जिस पर राजमार्ग तक पहुंच के लिये वैकल्पिक पहुंच मार्ग दिया गया है पहुंच के विद्यमान बिन्दु से अयुक्तियुक्त रूप से दूरी पर नहीं होगा.

(3) राजमार्ग प्राधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह उस दिनांक का प्रकाशन करे जिससे कि पहुंच विद्यमान अधिकार प्रत्यावर्तित किया गया और वैकल्पिक पहुंच मार्ग दिया जाता है. राजमार्ग प्राधिकारी उक्त प्रयोजन हेतु जनहित की जानकारी के लिये ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में अधिसूचना जारी करेगा.

16. **निरसन.**— इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त कोई नियम या इस विषय में किया गया कोई आदेश निरसित माना जाएगा और प्रभावहीन हो जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.

प्ररूप-1
[नियम 3(5) देखिए]
भाग—क

राज्य राजमार्ग का नाम	कुल लंबाई (कि.मी.) में	रास्ते में आने वाले जिलों के नाम
(1)	(2)	(3)

भाग-ख
भवन रेखा और नियंत्रण रेखा के बीच आने वाली भूमि के ब्यौरे

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि रेखा के बीच आने वाली भूमि के ब्यौरे (सर्वे. न.) [सड़क के केन्द्रीय रेखा (सेन्ट्रल लाइन) के दोनो तरफ. . . . . मीटर].	नियंत्रण रेखा के बीच आने वाली भूमि के ब्यौरे (सर्वे न.) [सड़क की केन्द्रीय रेखा (सेन्ट्रल लाइन) के दोनों तरफ. . . मीटर].

प्ररूप-दो

[नियम 4 (1) देखिए]

राज्य राजमार्ग प्राधिकारी से विनिर्दिष्ट अनुज्ञा के लिए आवेदन का प्ररूप

1.	आवेदक का नाम	:
2.	पिता/पति का नाम	:
3.	स्थाई पता	:
4.	पत्र व्यवहार का पता (दूरभाष तथा मोबाइल नम्बर सहित)	:
5.	राजमार्ग चैनेज/किलोमीटर जिसके लिए अनुज्ञा का अनुरोध किया है, के संबंध में ऐसे भू-खण्ड / खसरा क्रमांक तथा उसकी अवस्थिति	:
6.	प्रयोजन जिसके लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञा चाही गई है	:
7.	अनुज्ञा जिससे वह संबंधित है.	:
8.	ऐसी अनुज्ञा का आधार जिसे आवेदक वर्णित करना चाहे	:
9.	कालावधि तथा दिनांक जिसके लिए अनुज्ञा चाही गई है	:
10.	दिए गए शुल्क / किराए का विवरण (यदि अपेक्षित है)	:
11.	निष्पादन का तरीका (कार्य का विस्तृत रेखाचित्र / मानचित्र संलग्न करें)	:
12.	निर्माण की वांछित कालावधि	:
13.	राजमार्ग के ऐसे भाग के पुनरुद्धार की विधि	:
14.	पुनरुद्धार की वांछित कालावधि	:

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2014

पृ. क्र. एफ 23-01-2014-सा-19.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 23-01-2014-सा-19 दिनांक 18 फरवरी 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 18th February 2014

No. F-23-01-2014-G-19.—In exercise of the powers conferred by Section 65 of the Madhya Pradesh Rajmarg Adhiniyam, 2004 (No. 11 of 2005), the State Government, hereby, makes the following rules, namely:—

RULES

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Rajmarg Niyam, 2014.

(2) They shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise ruquires,—

(a) "Act" means the Madhya Pradesh Rajmarg Adhiniyam, 2004 (No. 11 of 2005);

(b) "Section" means the Section of the Act;

(c) words and expressions used, but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. **Manner of publication of Notification.**—(1) The State Government shall by Notification to fix highway boundaries, building line and control line of highway under Section 12 of the Act.

(2) The State Government before issuing a Notification under sub-section (1) of Section 12 shall publish a notice in the official Gazette to invite objections or suggestions from all the persons who are likely to be affected by such notification under sub-section (1) of the said Section.

(3) A copy of notification in pursuance to the provisions of sub-section (2) of Section 12 shall be sent to the Gram Panchayat, Tehsil Office, Collector Office, Divisional Manager, Madhya Pradesh Road Development Corporation and Chief General Manager, Madhya Pradesh Road Development Corporation, Bhopal for displaying on the Notice Board of their office. If there is no Notice Board in the office, the copy shall be affixed on a conspicuous part of the office.

(4) A copy of notice shall also be sent for publication in two local news papers having circulation in the area.

(5) The notification so published shall contain the particulars in the Form-I appended to these rules.

(6) A copy of the maps concerning notification shall be kept open for inspection by General Public in the Office of the Collector, Divisional Manager, Madhya Pradesh Road Development Corporation as well as Head Office of Madhya Pradesh Road Development Corporation at Bhopal.

(7) Extract or copies of such map shall be made available to any person on payment of fee of Rs. 100/- per sheet.

4. **Permission for certain purposes.**—(1) Any person desiring permission in respect of building, alternation, excavation, works or access permission or any other such purpose shall make an application to the Highway Authority containing such information as mentioned in Form-II appended to these rules.

(2) The Highway Authority may refuse permission in the following cases,—

(a) if it may cause inconvenience to traffic; or

(b) if it may cause threat to the safety of road user; or

(c) if it is not in public interest, to do so.

(3) Whenever an application for permission in the prescribed Form is made to the Highway Authority, it shall be obligatory for the Highway Authority to take final decision on the same within a period of three months from its receipt. If the final decision is not taken within the aforesaid period of three months it shall be deemed to have granted permission to the applicant.

5. **Power of Highway Authority.**—If at any time it appears to the Highway Authority that any highway in its charge or any portion thereof, is or has become unsafe for vehicular or pedestrian traffic by reason of damage or otherwise, it may close the highway or a portion thereof to all traffic or to any class of traffic for a period during which the damaged portion may be repaired or restored. It may also divert the traffic to an alternate route which is adjacent to the highway. The period of repairing or restoration of the damaged portion shall be minimum. The Highway Authority shall ensure that after repairing or restoring, the traffic may be allowed to use the highway.

6. **Power to prohibit the use of overweight/ overdimensional Vehicles.**—If the Highway Authority is satisfied that any portion of Highway or bridge is not designed for overweight/ overdimensional vehicles of which axle load and size of vehicle exceeds the prescribed limites, it may prohibit or restrict plying of such overweight/ overdimensional vehicles on or over such highway or such part of the highway or on such bridge. The Highway Authority shall also fix a Sign Board in respect of prohibition of plying of heavy vehicles at the beginning of the road or any other place which may be appropriate for such a board.

7. **Prevention of obstruction to sight of road user.**—(1) If Highway Authority is of the opinion that it is necessary to prevent of sight obstruction of highway specially at any curve or corner of the highway, it may issue notice to remove the obstruction in the public interest to the concerned owner or occupier for removing such obstruction and encroachment:

Provided that if the obstruction existed before the construction of road, the owner or occupier shall be given an opportunity of being heard.

(2) If it is proposed to remove obstruction which exist before the construction of road, then obstruction shall be removed. The concerned Collector shall determine the amount of compensation to be paid to the owner or occupier of the object of obstruction. It shall be obligatory to the Highway Authority to pay the compensation determined by the Collector. The compensation shall be paid, if the said structure is constructed legally and in the land owned by the occupier. This shall not be effective for illegal constructions and encroachments.

8. **Determination of compensation.**—The concerned Collector shall determine the compensation on the basis of existing market rate of land. Where due to removal of obstruction, if owner or occupier of the land has sustained loss in transporting the waste material or in changing the place of profession, the Collector shall also determine additional compensation to be paid to the owner or occupier.

9. **Removal of encroachment.**—(1) If the Highway Authority has passed an order for removal of obstruction, and if the concerned encroacher himself does not remove the same then the Highway Authority shall make an application containing the details or particulars of obstruction to the Tehsildar for removing such obstruction. On receipt of the application of Highway Authority, the Tehsildar shall proceed to remove the obstruction within thirty days from the date of receipt of such application.

(2) The Tehsildar shall take action for removal and penalizing the occupier in accordance with the provisions of Section 248 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) and the rules made thereunder. The expenses incurred in removing such obstruction and encroachment shall be recovered from the owner or occupier of the land as an arrears of land revenue.

10. **Appeal.**—If the owner or occupier of the land is aggrieved by the order passed under rule 9, may prefer an appeal to the Chief Engineer, Madhya Pradesh Road Development Corporation, Bhopal.

11. **Demarcation of Boundary.**—(1) The Highway Authority shall establish boundary mark by locating or planting stones or other suitable mark shall be so located, so as to give the correct configuration of the boundary in accordance with the provisions of Section 10 of the Act.

(2) These mark of boundary line shall be durable nature. The size of marks, its type and location shall be decided by the Chief Engineer, Madhya Pradesh Road Development Corporation, Bhopal.

12. **Recovery of expenses.**—(1) If any person unauthorisedly damages, destroys or removes or otherwise tampers the boundary marks and Sign Board of highway and the Highway Authority has re-fixed on the same place, the expenses incurred on providing and fixing such marks and Sign Board shall be recoverable from the concerned person. The estimate of the amount of expenses recoverable shall be calculated by the Highway Authority.

(2) If any person knowingly damages, destroys, removes or otherwise tampers any mark of highway or removes the Sign Board displayed to which was fixed to show the control line of highway, the Highway Authority shall be competent to recover the expenses incurred in providing and re-fixing the same from the person responsible.

13. **Service of letter or notice.**—Any letter or notice required to be served in pursuance to the provisions of these rules, shall be served personally to the concerned person. If the person concerned is not available at his residence or is absent or is absconding, then the same shall be affixed on the door of his residence or office. The letter or notice so affixed shall be deemed to have been served on the person concerned.

14. **Declaration of damaged highway or bridge.**—Where any part of highway or a bridge of highway has been damaged due to any reason, the Highway Authority shall declare about the damage and shall publish the information in the local Newspaper for the information of general public. The Highway Authority shall also fix a Sign Board and may regulate or prohibit traffic of vehicles on such part of highway or bridge to avoid the accidents on the highway. After repairing the highway or bridge, the Highway Authority shall ensure that the prohibition is withdrawn.

15. **Regulation or diversion of right of access to highway.**—(1) The Highway Authority shall have power to regulate or divert any existing right of access to highway for the land lying between the control line and the highway boundary. The Highway Authority shall ensure that existing right of access is not diverted until alternative access has been given.

(2) Where any existing right of access is diverted, the point at which alternative access is given to the Highway shall not be at a unreasonable distant from the existing point of access.

(3) It shall be the duty of the Highway Authority to publish the date on which the existing right of access has been diverted and alternative access has been given. The Highway Authority shall issue a notification in the Madhya Pradesh Gazette for the above purpose for the information of general public.

16. **Repeal.**—Any rule or orders made on the subject enforced immediately before the commencement of these rules shall stand repealed and ceased to have effect.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJIV SHARMA, Dy. Secy.

FORM -I
[See Rule 3 (5)]

PART-A

Name of State Highway (1)	Total Length (in km.) (2)	Name of Districts on the way (3)

PART-B

Details of Land in between Building Lines and control Lines

District (1)	Tehsil (2)	Village (3)	Details of land (Survey Nos.) comming between Building Lines (. . . . m. on either Sides of Central Line of the Road) (4)	Details of land (Survey Nos.) coming between Control lines (. . . . m. on either sides of Central Line of the Road) (5)

FORM -II
[See Rule 4(1)]

Form of Application for Specific Permission from the State Highway Authority

1. Name of the applicant : . . . . . .
2. Father's/Husband's Name : . . . . . .
3. Permanent Address (With Telephone and Mobile Numbers) : . . . . . .
4. Address for communication (With Telephone and Mobile Numbers) : . . . . . .

5.	Details of Plot/ Khasra Number and its location with respect to highway chainage / km for which permission is requested.	:	. . . . .
6.	Purpose for which the specific permission is desired	:	. . . . .
7.	Permission to which it relates	:	. . . . .
8.	Ground for such permission which the applicant would like to mention.	:	. . . . .
9.	Period with dates for which the Permission is desired	:	From . . . . . To . . . . .
10.	Particulars of fee / rent paid (if required)	:	. . . . .
11.	Method of execution (detailed drawing / map of the work to be attached).	:	. . . . .
12.	Desired period of construction	:	. . . . .
13.	Method of restoration of such part of the Highway	:	. . . . .
14.	Desired period of restoration	:	. . . . .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJIV SHARMA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.